राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

कमांक:प.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./17/20502-20692 जयपुर, दिनांक: 08/06/17

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय: नगर निकाय क्षेत्रो में स्थित विवाह स्थलो की सुरक्षा संबंधी जांच एवं अन्य औपचारिकताऐ पूरी किये जाने के संबंध में।
सदर्भ: विभागीय परिपत्र दिनांक 11.05.2017 के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संबंधित परिपत्र के द्वारा सभी नगरीय निकायो को निर्देशित किया गया था कि नगरीय निकाय क्षेत्र में संचालित विवाह स्थलो के संबंध में सघन जांच अभियान चलाया जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि बिना वैध लाईसेन्स के कोई भी विवाह स्थल संचालित नहीं किया जावे। तथा जो विवाह स्थल लाईसेन्स प्राप्त करके संचालित किये जा रहे है उनमे भी फायर एन.ओ.सी., पार्किग की समुचित व्यवस्था एवं स्थाई निर्माण एवं अस्थाई ढांचे के सुरक्षित होने के संबंध में प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त किया जावे तथा इस हेतु 10 जून, 2017 तक की समयावधि निर्धारित की गई थी।

इस संबंध में विवाह स्थल संचालको द्वारा राज्य सरकार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर उपरोक्त औपचारिकताऐ पूर्ण करने हेतु समयावधि बढाने की मांग की है। जिसको ध्यान में रखते हुये इस अवधि को 30 जून, 2017 तक बढाया जाता है तथा सभी नगरीय निकायो को पुन: निर्देशित किया जाता है कि वे निकाय क्षेत्र में संचालित सभी विवाह स्थलो को उपरोक्त औपचारिकताऐ पूर्ण करने हेतु 30 जून, 2017 तक की समयावधि प्रदान करें तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् भी यदि विवाह स्थल संचालक द्वारा उपरोक्त औपचारिकताऐ पूर्ण नहीं की जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही प्रयोग में लायी जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांक:प.8(ग)( )याचिका/डीएलबी/17/20693-21143 दिनांक: 08/06/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक,मा.मंत्रीमहोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
3. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राज0जयपुर
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगरनिगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
7. निजी सहायक, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
8. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी